उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-04/2017/04मु0स0/37-1-2017-02(03)/2013

लखनऊ: दिनाँक 21 मार्च, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

कार्यालय आदेश संख्या- 159/मु0मं0/37-1-2016-2(3)/2013, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 द्वारा हाजी मोहम्मद अनवर खान, निवासी पठान हाउस, नाजिरपुरा, जनपद बहराइच को एक वर्ष के लिये पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश का सलाहकार नामित किया गया था।

2- एतदद्वारा श्री राज्यपाल उपरोक्त नामांकन को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 04/2017/04मु0स0(1)/37-1-2017 तदद्दिनाँक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- हाजी मोहम्मद अनवर खान, निवासी पठान हाउस, नाजिरपुरा, जनपद बहराइच।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
5- प्रमुख सचिव, ग्रह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0शासन।
7- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- गोपन अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राहुल सिंह
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in